

**बिहार सरकार,
कृषि विभाग**

पत्र संख्या पी०पी०एम०—६९ / २०१३

८२०

/ कृ०, पटना दिनांक १०-०२-२०१५

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह-अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग।

विषय –

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को प्रसार, शिक्षा एवं शोध के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2014-15 में 325.416 लाख रुपये (तीन करोड़ पचास लाख एकतालिस हजार छ: सौ रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 3.246 लाख रुपये(तीन लाख चौबीस हजार छ: सौ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को प्रसार, शिक्षा एवं शोध के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2014-15 में 325.416 लाख रुपये (तीन करोड़ पचास लाख एकतालिस हजार छ: सौ रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 3.246 लाख रुपये(तीन लाख चौबीस हजार छ: सौ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोड मैप में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम शामिल किया गया है। कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा तथा शोध के सुदृढ़ीकरण के निम्न कार्यक्रम शामिल किया गया है,

- फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेन्टर की स्थापना – कृषि यंत्रों की गुणवत्ता जांच के लिए कृषि अभियंत्रण संकाय, पूसा में फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेन्टर की स्थापना की जायेगी। इस सेन्टर की स्थापना से स्थानीय उद्यमियों को कृषि मशीनरी की गुणवत्ता जांच कराने में सुविधा होगी। किसानों को भी गुणवत्ता वाले यंत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी। इस परियोजना के अधीन नये पद के सृजन नहीं किया गया है। सेन्टर की स्थापना के लिए आवश्यक यंत्र का क्रय के लिए विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया है। सेन्टर के परिचालन के लिए उद्यमी से जांच के लिए ली गई शुल्क के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा एक पारदर्शी प्रक्रिया का निरूपण किया जायेगा। इस मद में होने वाले आय का उपयोग प्रशिक्षित मानव बल के लिए किया जा सकता है ताकि सेन्टर का परिचालन सुचारू रूप से हो सके। यह सेन्टर कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा का अभिन्न भाग होगा।
- सुगरकेन रिसर्च इन्स्टीच्युट, पूसा के सुदृढ़ीकरण के लिए नये पद के सृजन नहीं किया गया है। मुख्य भवन के सुदृढ़ीकरण के लिए 102.235 लाख रुपये सहायक अनुदान स्वीकृति दी जाती है।
- एडवार्स्ड डिजिटल लैग्वेज लेबोरेटरी – छात्रों में अंग्रेजी भाषा के प्रति जागरूकता तथा व्यक्तित्व विकास के लिए प्रयोगशाला की स्थापना हेतु आवश्यक यंत्र/उपस्कर/किताब आदि का क्रय के लिए 76.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी जाती है।
- मक्का के गुणवत्ता जांच के लिए एफलाटॉक्सिन जांच की सुविधा द्वारा स्वीकृत परियोजना के अधीन विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। वर्ष 2010-11 में इस परियोजना के लिए 79.86 लाख रु० स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से विश्वविद्यालय को 50.09 लाख रु० विमुक्त किया गया। विश्वविद्यालय के स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ, जिसके कारण

21-02-2015

आगामी वर्षों की राशि विमुक्त नहीं की गयी। वर्ष 2014-15 के लिए 13.72 लाख रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नेशनल नॉलेज मिशन के अधीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना के विकास के लिए आई.जी.बी.पी.एस. कनेक्टिविटी हेतु 50.562 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
मदवार स्वीकृत राशि का विवरण अनुसूची-1 संलग्न है।

3. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

4. उक्त योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 3.246 लाख रुपये(तीन लाख चौबीस हजार छः सौ रुपये) का व्यय बजट मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मॉग संख्या 1, उप शीर्ष 0108- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान, विपत्र कोड P241501796010800 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में द्वितीय अनुपूरक में उपबंधित राशि 3.31 लाख रु० कुल उपबंधित 4.63 लाख रु० में से विकलनीय होगा।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या- ब-17/बी०एस०जी०-314/2014-06/वि० दिनांक: 02.01.2015 के आलोक में कंडिका 4 में उल्लेखित विपत्र कोड में अन्तिम दो अंक जो कि 00 (शून्य-शून्य) है, उससे विपत्र बनाने एवं पारित कराने के समय नहीं देखा जाय। विपत्र कोड में प्रथम 13 अंकों का ही इस्तेमाल किया जाय।

6. स्वीकृत राशि 3.246 लाख रुपये की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत कृषि महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है, इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

7. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म-42 पर की जायेगी, जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 26.08.2014 को स्वीकृति संचिका संख्या पी०पी०एम०-69 / 2013 के पृ०सं०-46 / टि. पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी०पी०एम०-69 / 2013 के पृ०सं०- 57 / टि. पर दिनांक- 04.02.2015 को प्राप्त है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग का डायरी सं०- 240 दिनांक- 16.06.2014 है।

बिहार राज्यपाल के अदेश से,


04/01/2015
(प्रभु राम)
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक—

820

/कृ०, पटना दिनांक/ १०२-२०१५

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरब्रन्द
पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक (प्रशासन) — सह—अपर सचिव।

ज्ञापांक—

820

/कृ०, पटना दिनांक/ १०२-२०१५

प्रतिलिपि :— योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक (प्रशासन) — सह—अपर सचिव।

ज्ञापांक—

820

/कृ०, पटना दिनांक/ १०२-२०१५

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक (प्रशासन) — सह—अपर सचिव।

ज्ञापांक—

820

/कृ०, पटना दिनांक/ १०२-२०१५

प्रतिलिपि :— कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि
विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कृषि निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि
विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि शिक्षा कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन) — सह—अपर सचिव।